राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 6(12)राज–6/99 पार्ट/8 जयपुर दिनांक 30-7-2(

–:अधिसूचना:–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प0 6(12) राज–6/99/पार्ट/23 दिनांक 13.10.2005, समय–समय पर यथा संशोधित, को अतिष्ठित (Supersede) करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा आदेश देती है कि अनाधिमुक्त सरकारी भूमि:–

(क) विद्युत केन्द्र, ग्रिड केन्द्र और उपकेन्द्र इत्यादि के सन्निर्माण के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जयपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जोधपुर तथा इनकी सहायक कम्पनियों को और जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0 से डिपोजिट वर्क के आधार पर सरकारी नहर परियोजनाओं हेतु विद्युत केन्द्र, ग्रिड केन्द्र और उप केन्द्र इत्यादि के सन्निर्माण के लिए,

(ख) कार्यालय, बस अड्डा, डिपो और कार्यशाला के सन्निर्माण के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को,

(ग) राजस्थान राज्य भण्डारण निगम, राजस्थान सहकारी दुग्ध उद्योग परिसंघ को:–

निम्न लिखित निबन्धन ओर शर्तों पर आवंटित की जा सकेगी:–

निबन्धन ओर शर्तें:–

1. भूमि 99 वर्ष के पट्टे पर दी जावेगी, जो 99 वर्ष की और कालावधि के लिए नवीनीकरणीय होगी।
2. ऊपर लिखित विभाग/निगम/संस्था को आवंटित भूमियों के संबंध में प्रीमियम की दर कलेक्टर द्वारा निर्धारित पडोस की उसी भूमि वर्गीकरण की कृषि भूमियों को आवंटन के समय विद्यमान कीमतो के समान होगी किन्तु विद्युत निगमों को आवंटित भूमियों को इस हेतु देय राशि, राज्य

सरकार द्वारा उन्हें देय आर्थिक सहायता (सब वेंसन) में से समायोजित की जायेगी।

परन्तु यह कि राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को केवल खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण के लिए अनाधिवासित सरकारी भूमि की प्रीमीयम की दर कलक्टर द्वारा निर्धारित पडोस की उसी भूमि वर्गीकरण की कृषि भूमियों को आवंटन के समय विद्यमान कीमतो के एक चौथाई होगी।

परन्तु यह और कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि भूमि पर निर्मित गोदाम खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कियान्वयन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है तो आवंटन के समय की प्रचलित दर से कीमत ली जावेगी।

परन्तु यह भी कि पात्र ग्राम स्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को अनाधिवासित सरकारी भूमि का 1500 वर्गमीटर तक निःशुल्क आवंटन किया जावेगा।

3. उर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.01.2002 के अनुसार, दिनांक 18.01.2002 से पूर्व की, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड या विद्युत निगम लि0 जैसी भी स्थिति हो, के विरूद्ध भूमि कीमत इत्यादि की बकाया राशि वसूल योग्य नही होगी। राजस्व लेखों में कायम ऐसी मांग को नियमानुसार राजस्व लेखों से कम किया जावेगा। परन्तु यदि पहले से ही ऐसी कोई राशि वसूल कर ली गई है तो उसका प्रतिदाय (रिफण्ड) नही किया जायेगा। दिनांक 18.01.2002 के बाद की विद्युत निगमों के विरूद्ध बकाया राशि विद्युत निगमों से वसूली योग्य है जो राज्य सरकार द्वारा उन्हें देय आर्थिक सहायता (सब वेंशन) के रूप में समायोजित की जावेगी।
4. किराया या नगरीय निर्धारण, शर्त सं0 2 में उल्लेखित राशि का 10 प्रतिशत होगा, जो दस रूपये के निकटतम पूर्णांकित किया जायेगा।
5. इस प्रकार आवंटित भूमि, सिवाय उस प्रयोजन के जिसके लिये इसे आवंटित किया गया है, किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नही ली जायेगी और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसका विक्रय ही किया जायेगा। परन्तु इस अधिसूचना के अधीन 02.08.1984 से 09.1994 तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को किये गये भूमि

आवंटन की दशा में प्रीमियम, पट्टा किराया या शोध्य नगरीय निर्धारण, यदि कोई हो, वसूल नही किया जायेगा, किन्तु पहले से ही वसूल कर ली गई ऐसी किसी रकम का प्रतिदाय नही किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-
(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदया/राजस्व मंत्री ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व /शासन सचिव राजस्व विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान ।
5. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
6. प्रमुख शासन, उर्जा विभाग।
7. अध्यक्ष, विद्युत वितरण निगम जयुपर।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
9. निदेशक राज्य केन्द्री मुद्रणालय जयपुर को असाधारण अंक में दिनांक 30/7/2014 ..... में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
10. राविरा, राजस्व मण्डल अजमेर।
11. उप पंजीयक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल अजमेर।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव